

संशोधित डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
आवृत्त श्री के० आर० खौड, आर०ए०एस०

रामगोपाल पिता देवलाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
श्री रामदेवी पति रामगोपाल शर्मा निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
— वादीगण

बनाम

रामगोपाल पिता बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
श्री लालु पुत्री बरदा तेली निवासी देवरिया तहसील फूलियाकलां
तहसीलदार, फूलियाकलां

— प्रतिवादीगण

आवृत्त नम्बर 88-188 आर०टी०ए०

मुकदमा नम्बर 233/2011 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुदई वX..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2013 मे
आवृत्त आरजी नम्बर 1460/1430 के स्थान पर 1460/2430 इन्द्राज के आदेश दिये जाते है
इन्द्राज यथावत रहेगे।

निज मुबलिंग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से
तारीख व सुलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 06 सन् 2017 को जारी की गई।

a

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा



सही फोटो प्रसि

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

९